न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 91/2011 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 21.09.2011

1–रूपलाल पिता माधू लाल जाति धोबी
2–शान्तिलाल पिता माधू लाल जाति धोबी
निवासीयान चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1–कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौड़गढ़
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण

रिव्यू याचिका अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक राजस्व/12–6(1)10/260 दिनांक 17.02.2011

उपस्थितिः 1–श्री राकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री सुमित कुमार गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 07.11.2017

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्बा चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात बिलानाम आराजी नम्बर 1791 रकबा 0.16 है. एवं आराजी नम्बर 3412/1792 रकबा 0.10 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की अभिशंषा पर आबादी प्रयोजनार्थ नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ को आवंटन की गई जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह रिव्यू याचिका प्रस्तुत की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित कुमार गर्ग ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रकरण संख्या 91/2011(रे.वि.)
रूपलाल पिता माधू लाल धोबी निवासी चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ वगैरा

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1791 रकबा 0.16 हैक्टेयर (पुराना नम्बर 1359 रकबा 0.17 बीघा) पर उनका काश्तकारी कानून लागू होने से ही पीढियों से कब्जा रहा है पूर्व में उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके आदेश दिनांक 25.05.93 से उक्त भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील की तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.06.95 से उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 25.05.93 निरस्त कर नए सिरे से निर्णय दिये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया एवं भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश दिया। स्थाई निषेधाज्ञा के लिए उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष वाद प्रस्तुत करने एवं उनके द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.06 से उक्त वाद खारीज कर दिये जाने से राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे आर. ए. ए. चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2010 से खारीज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 27.05.2010 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिस पर माननीय मण्डल द्वारा अन्य आदेश होने तक मौके व राजस्व रेकार्ड की स्थिति यथावत रखने के आदेश दिये। नगर पालिका के पक्ष में दिनांक 17.02.2011 को जो आवंटन आदेश पारित किया गया है वह प्रार्थीगण को बिना सुने पारित किया गया है कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें सुना जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। माननीय मण्डल का स्थगन आदेश होने एवं सही टाईटल व खातेदार की घोषणा नहीं हो जाती तब तक कोई आवंटन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अतः रिव्यू याचिका स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 17.02.2011 निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके प्रकरण संख्या 181/2001 श्री शिवलाल वगैरा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार व न. पा. चित्तौड़गढ़ मे पारित निर्णय दिनांक 23.08.2006 में यह विनिश्चय किया गया कि वादीगण का प्रश्नगत आराजीयात पर दस्तावेजी साक्ष्य से निरन्तर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है एवं वादीगण का वाद खारीज किया गया था। माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत होना तथा दिनांक 12.07.2010 को यथास्थिति का आदेश दिया गया, उक्त आदेश का अपील में निर्णय तक प्रभावी होने का उल्लेख नहीं है। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 17.02.2011 से उक्त भूमि नगर पालिका को आवंटित की गई थी, उक्त आदेश की पालना में नियमानुसार राशि जमा होकर भूमि नगर परिषद के नाम दर्ज हो चुकी है प्रश्नगत आराजीयात मौके पर पड़त होकर नगर परिषद के आधिपत्य में है। अतः रिव्यू याचिका खारीज फरमावें।

प्रकरण संख्या 91/2011(रे.वि.)
रूपलाल पिता माधू लाल धोबी निवासी चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ वगैरा

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण ने नगर पालिका चित्तौड़गढ़ को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन के पारित आदेश दिनांक 17.02.2011 के विरूद्ध दिनांक 16.09.2011 को धारा 86, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत यह रिव्यू याचिका प्रस्तुत की है जो कि आदेश पारित होने के 7 माह व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की है। जबकि राजस्थान लैण्ड रेवून्यू एक्ट की धारा 86 (2) (iii) अनुसार ऐसे आवेदन पत्र आदेश पारित होने के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत होने पर ही ग्रहण योग्य है। साथ ही प्रार्थीगण ने रिव्यू याचिका के साथ धारा 5, भारतीय मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।

आयुक्त नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ के अनुरोध पर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने नगर पालिका क्षैत्र में स्थित कस्बा चित्तौड़गढ़ की पड़त बिलानाम आराजीयात आराजी नम्बर 1791 रकबा 0.16 है. एवं आराजी नम्बर 3412/1792 रकबा 0.10 है. किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.26 हैक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने का प्रस्ताव मानक प्रारूप में तैयार कर मय अभिशंषा के जिला कार्यालय को प्रेषित करने पर आदेश कमांक/राजस्व/12-6(1)10/260 दिनांक 17.02.2011 से उक्त भूमि नगर पालिका चित्तौड़गढ़ को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन की गई।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त आवंटन विवादित भूमि पड़त होकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर अथवा उनके खातेदारी में दर्ज नहीं होकर राजकीय बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के स्थगन आदेश की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी और न ही स्थगन का कहीं कोई अंकन था। रिव्यू का स्कॉप लिमिटेड़ है। निर्णय में कोई रेकार्ड के मुकाबले टंकण में कोई लिपिकीय या गणित संबंधी त्रुटि होने की स्थिति मे रिव्यू किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण मे ऐसी कोई त्रुटि होना नही पाया जाता है। आदेश दिनांक 17.02.2011 उस समय पत्रावली मे मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति के अनुरूप पारित हुआ है। साथ ही प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजीयात पर उनके कब्जा होने अथवा उनके खातेदारी में दर्ज होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू याचिका स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारीज की जाती है। प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर दाद प्राप्त करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)